

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

3

अनुमति वाद संख्या :-42/2019-20



(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

रूबेन मानकी

- विक्रेता

नमिता तोपनो

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
03.01.20	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक रूबेन मानकी पिता स्व० हेरन मानकी ग्राम-जोजोटोली, खूँटी, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने क्रेता नमिता तोपनो पति श्री अल्बर्ट प्यारा तोपनो ग्राम-हुटार, पोस्ट-गुटजोरा, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="236 739 1369 846"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कदमा</td> <td>84</td> <td>35</td> <td>242</td> <td>0.10</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं० 0861688005 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 1160 दिनांक 19.12.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला पट्टा से क्रय की गयी है। खतियानी रैयत का नाम सुखु पाहन वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार मंगल दास मानकी वगैरह के नाम भूमि का रकबा 4.85 एकड़ है। आवेदक के पास रकबा 2.42½ एकड़ भूमि के आलावे अन्य खाता सं० 9 मौजा कदमा रकबा 0.40 एकड़ भूमि कुल रकबा 2.82½ एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 68792.00(अड़सठ हजार सात सौ बानबे)रु० प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.72½ एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण रूबेन मानकी पिता स्व० हेरन मानकी को नमिता तोपनो पति श्री अल्बर्ट प्यारा तोपनो के साथ ग्राम कदमा के खाता सं० 35 खेसरा संख्या 242 कुल रकबा 0.10 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 68792.00(अड़सठ हजार सात सौ बानबे)रु० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: right;">  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	कदमा	84	35	242	0.10	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
कदमा	84	35	242	0.10								